प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट **दिनाँकः-21.10.2024**

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 287/24 धारा 305(ए) बीएनएस, मु0अ0सं0 272/24 धारा 303(2) बीएनएस व थाना छपरौली के मु0अ0सं0 265/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ लगभग 194 किलोग्राम बिजली के तार के टुकडे (एल्युमिनियम धातु) एवं ट्यूबवेलों से चोरी किये हुए केबल के टुकडे व जला हुआ एल्युमिनियम व कॉपर का तार व कटआउट की कापर पत्ती तथा घटना में प्रयुक्त एक कटर, एक प्लास, एक रिंच व एक कार मारुति सुजुकी SX4 नं0 DL-9CAA-2712 बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 24.09.2024 को वादी श्री जितेन्द्र पुत्र बीजा निवासी ग्राम मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 23/24.09.2024 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा उसकी टयूबैल से केबिल चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 272/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

2-दिनांक 20.10.2024 को वादी श्री राममेहर पुत्र झन्डु निवासी ग्राम बेगमाबाद गढी थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी गयी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसकी व उसके पड़ोसियों की ट्यूबवैलों से तार काटकर चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त

तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 287/2024 धारा 305(A) बीएनएस 2023 पंजीकृत कराया था।
3-दिनांक 20.10.2024 को वादी श्री कैलाशचन्द अवर अभियुन्ता 3/11 केवी एसएस तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 19.10.2024 को अज्ञात चोर द्वारा बन्द पडी लाईन का तार चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 265/24 धारा 303(2) बीएनएस 2023 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शातिर चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 287/24 धारा 305(ए) बीएनएस, मु0अ0सं0 272/24 धारा 303(2) बीएनएस व थाना छपरौली के मु0अ0सं0 265/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ लगभग 194 किलोग्राम बिजली के तार के टुकडे (एल्युमिनियम धातु) एवं ट्यूबवेलों से चोरी किये हुए केबल के टुकडे व जला हुआ एल्युमिनियम व कॉपर का तार व कटआउट की कापर पत्ती तथा घटना में प्रयुक्त एक कटर, एक प्लास, एक रिंच व एक कार मारुति सुजुकी SX4 नं0 DL-9CAA-2712 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना दोघट पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-अंशुल पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम राशना थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।
2-सावेज पुत्र हारून निवासी ग्राम राशना थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ लगभग 194 किलोग्राम बिजली के तार के टुकडे (एल्युमिनियम धातु)
- ट्यूबवेलों से चोरी किये हुए केबल के टुकडे व जला हुआ एल्युमिनियम व कॉपर का तार व कटआउट की कापर पत्ती

- घटना में प्रयुक्त एक कटर, एक प्लास, एक रिंच व एक कार मारुति सुजुकी SX4 नं0 DL-9CAA-2712

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1-व0उ0नि0 कृपेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत।
3-उ0नि0 प्रान्शु राजपूत थाना दोघट जनपद बागपत।
4-है0का0 239 विपिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
5-का0 951 पीताम्बर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
6-का0 1003 उपदेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी मनोज को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त मनोज पुत्र रणवीर निवासी ग्राम बड़ौली थाना बड़ौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 272 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मनोज को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 21.10.2024

ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने कस्बा बडौत में लावारिश अवस्था में घूम रही बच्ची उम्र 03 वर्ष को अथक प्रयास के बाद उसके परिजनों की तलाश कर किया सुपुर्द ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा कस्बा बडौत में सुबह 08.00 बजे मिली एक लावारिश बच्ची उम्र 03 वर्ष को अथक प्रयास के बाद उसके परिजनों को तलाश कर बच्ची को परिजनों के सुपुर्द किया गया।

सुपुर्द करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सतीश कुमार गौतम थाना बडौत।
2-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह गौतम थाना बडौत।
3-म0का0 821 मनीषा शर्मा थाना बडौत।
4-म0का0 768 अन्जू लांबा थाना बडौत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 21.10.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नौभार पुत्र बारू निवासी इस्लामपुर बसौली थाना कांधला जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तौगी थाना कोतवाली बागपत।

2-का0 1038 अरविन्द कुमार थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट

थाना रमाला **दिनाँक -21.10.2024**

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वांरटी का नाम व पता-

अनीश पुत्र नसीरा निवासी ग्राम निरमानी थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुखराम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-का0 907 धर्मेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत।